

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
मथुरा।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2019–20 / ४९०

दिनांक: २९.५.२०१९

विषयः— राज्य स्तरीय दो सदस्यीय पर्यवेक्षण दल द्वारा दिनांक 03 से 05 अप्रैल 2019 तक जनपद मथुरा में  
किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या  
एस०पी०एम०यू० / एन०एच०एम० / एम० एण्ड ई० / 2018–19 / 18 / 10262 दिनांक—31.12.2018) राज्य स्तरीय  
टीम के द्वारा दिनांक 03 से 05 अप्रैल 2019 तक जनपद मथुरा का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार  
पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की  
जा रही है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या  
एक सप्ताह के अन्दर मिशन निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया

(थमीम अंसरिया ए)  
अपर मिशन निदेशक  
तददिनांक:

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2019–20 /

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मथुरा।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल।
5. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन  
इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्साधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, वृन्दावन, जनपद—मथुरा।
7. सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, जनपद—मथुरा।
8. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आगरा मण्डल।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

—  
(डा० अनामिका मिश्रा)  
महाप्रबन्धक (एम०एण्ड ई०)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
मथुरा।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019–20/

दिनांकः २९.४.२०१९

विषयः—राज्य स्तरीय दो सदस्यीय पर्यवेक्षण दल द्वारा दिनांक 03 से 05 अप्रैल 2019 तक जनपद मथुरा में  
किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या  
एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम० एण्ड ई०/2018–19/18/10262 दिनांक—31.12.2018) राज्य स्तरीय  
टीम के द्वारा दिनांक 03 से 05 अप्रैल 2019 तक जनपद मथुरा का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया।

राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार  
पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की  
जा रही है।

उक्त के कम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या  
एक सप्ताह के अन्दर मिशन निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीया

(थमीम अंसरिया ए)  
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019–20/४९०-७

तददिनांकः

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मथुरा।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल।
5. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन  
झकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य चिकित्साधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, वृन्दावन, जनपद—मथुरा।
7. सम्बन्धित चिकित्साधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, जनपद—मथुरा।
8. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आगरा मण्डल।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(डा० अनामिका मिश्रा)  
महाप्रबन्धक (एम०एण्ड ई०)

**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या जनपद—मथुरा**  
**भ्रमण तिथि— 03 से 05 अप्रैल 2019**

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या एस०पी०एम०य०० / एन०एच०एम० / एम० एण्ड ई० / 2018-19 / 18 / 10262 दिनांक—31.12.2018) राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 03 से 05 अप्रैल 2019 तक जनपद मथुरा का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया।

**राज्य स्तरीय टीम के सदस्यः—**

1. डा० अनामिका मिश्रा, महाप्रबन्धक, एम०एण्ड ई०, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०।
2. श्री पुरन्जय प्रताप सिंह, कार्यक्रम समन्वयक—एम० एण्ड ई०, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०।

**दल द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गयी इकाइयाँ/ गतिविधियाँ—**

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—राया, ब्लॉक—राया, अन्तर्गत सी०एच०सी० सोनाई।
2. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, स्वास्थ्य उपकेन्द्र—लोहवन, ब्लॉक—राया।
3. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैजा अस्पताल।
4. जिला संयुक्त चिकित्सालय, वृन्दावन, जनपद—मथुरा।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—बरसाना, ब्लॉक—नन्द गांव
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपदीय नोडल अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—राया, ब्लॉक—राया, अन्तर्गत सी०एच०सी० सोनाई—**

दिनांक 03.04.2019 को राज्य स्तरीय दल द्वारा डा० तुला राम, चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, श्री संजय सिहोरिया एवं जिला क्वालिटी कन्सलटेण्ट के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राया का भ्रमण किया गया। पी०एच०सी० का इन्टरनल असेसमेण्ट किया जा चुका है जिसमें इसका स्कोर 60 पाया गया। राया ब्लॉक में नीति आयोग के द्वारा ए०ए०ए० प्लेटफॉर्म इन्टरवेंशन भी किया गया है। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये—

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/ सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	पी०एच०सी० राया को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में विकसित किया गया है, जिससे वाहय रूप से स्वास्थ्य इकाई का स्वरूप अच्छा प्रतीत हो रहा था, किन्तु आन्तरिक व्यवस्था मानकानुरूप नहीं पायी गयी।	मानकानुसार आंतरिक साज सज्जा एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
2	पी०एच०सी० में बायो मेडिकल वेस्ट प्रबन्धन हेतु पिट का निर्माण हो गया है किन्तु पिट अभी क्रियाशील नहीं किया गया है।	शीघ्रातिशीघ्र पिट को क्रियाशील करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
3	रोगी कल्याण समिति (आर०के०एस०) का नवीनीकरण हो गया है किन्तु रजिस्टर	रजिस्टर को भरने के सम्बन्ध में बतलाया गया एवं व्यवस्थित	चिकित्साधीक्षक/ ब्लाक कार्यक्रम

	मानकानुसार नहीं भरा जा रहा है।	करने हेतु निर्देशित किया गया।	प्रबन्धक
4	लावारिस बच्चों हेतु एक पालना घर भी बनाया गया है किन्तु अभी तक एक भी बच्चा पालना घर में नहीं आया है। क्योंकि पालने के लिये चिन्हित स्थान उपयुक्त नहीं है।	पालने को प्रवेश द्वारा के समीप स्थित स्थान पर लगाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
5	लेबर रूम में कैलिस पैड, पिलो, डिजीटल घड़ी की व्यवस्था नहीं पायी गयी। रेडियन्ट वार्मर क्रियाशील नहीं पाया गया। अवगत कराया गया कि साइरेक्स कम्पनी से सम्पर्क किया गया एवं बार कोड भी उपलब्ध कराया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।	मानकानुसार कैलिस पैड, पिलो, डिजीटल घड़ी की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। कम्पनी से सम्पर्क स्थापित करके रेडियन्ट वार्मर शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील करवाना सुनिश्चित करें।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
6	एच0आर0पी0 का चिन्हीकरण किया जा रहा है किन्तु इनका पृथक रूप से रजिस्टर नहीं बनाया गया।	एच0आर0पी0 चिन्हीकरण का रजिस्टर मानकानुसार बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
7	रसोई घर व्यवस्थित नहीं पाया गया। डाइट रजिस्टर मानकानुरूप नहीं बनाया गया है और न ही रसोई घर/वार्ड में मैन्यू चार्ट उपलब्ध कराया गया है।	मानकानुसार समस्त व्यवस्थायें करने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
8	हैल्थ एण्ड वैलनेस सेण्टर के दिशा निर्देशों के अनुसार हैल्प डैस्क नहीं बनायी गयी है।	शीघ्रातिशीघ्र हैल्प डैस्क व्यवस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक / ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक

### ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस –स्वास्थ्य उपकेन्द्र लोहवन, ब्लॉक–राया-

दिनांक 03.04.2019 को राज्य स्तरीय दल द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला क्वालिटी कन्सलटेण्ट के साथ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस –स्वास्थ्य उपकेन्द्र लोहवन, ब्लॉक–राया का भ्रमण किया गया। सत्र स्थल पर ए०एन०एम० श्रीमती राजकुमारी के साथ–साथ आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित थीं। पर्यवेक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं—

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	सत्र स्थल पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का बैनर प्रदर्शित नहीं किया गया था।	संपादित की जा रही गतिविधि का बैनर प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया।	ए०एन०एम०

2	ए०एन०एम० एवं आशा के क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
3	बी०पी० उपकरण भली प्रकार से कार्यरत नहीं पाया गया। एम०य००ए०सी० टेप उपलब्ध नहीं था।	समस्त उपकरण/सामग्री को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।	चिकित्साधीक्षक/ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
4	ड्यूलिस्ट पायी गयी परन्तु टैलीशीट पुरानी ही उपलब्ध है जबकि चार पेज वाली एवं सात भाग वाली टैलीशीट उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	नवीन टैलीशीट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्साधीक्षक/ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
5	उपकेन्द्र पर पुराना टीकाकरण शेड्यूल प्रिन्ट कराया गया है।	नवीन टीकाकरण शेड्यूल प्रिन्ट कराया जाना अपेक्षित है।	चिकित्साधीक्षक/ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
6	टीकाकरण कार्ड, हीमोग्लोबिन जांच स्ट्रिप, विटामिन-ए, आयरन बड़ी गोली, पेरासीटामोल, यूरिस्टिक, निश्चय किट, परिवार नियोजन के साधन, ओ०आर०एस०, हब कटर आदि उपलब्ध एवं कियाशील पाये गये।	समस्त सामग्रियों को मानकानुसार उपयोग करने के निर्देश दिये गये।	ए०एन०एम०
7	डिलीवरी टेबिल, वजन मशीन, इमरजेन्सी मेडिसिन ट्रे जंग लगी हुई थी एवं बहुत गंदी पायी गयी। कैलीस पैड फटा हुआ था तथा इमरजेन्सी मेडिसिन ट्रे में इंजेक्शन एवं इमरजेन्सी दवायें भी उपलब्ध नहीं पायी गयी।	ए०एन०एम० को मानकानुसार व्यवस्थायें दुरुस्त करने हेतु निर्देश दिये गये।	ए०एन०एम०
8	प्रिन्टेड डिलीवरी रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। उपलब्ध रजिस्टर में चिकित्साधीक्षक के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे हैं।	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रिन्टेड डिलीवरी रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक
9	बायो मेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।	मानकानुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।	ए०एन०एम०
10	पानी की व्यवस्था नहीं थी। लेबर रूम में पानी के अभाव में प्रसव सम्पादित कराया जाना संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था।	मानकानुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।	ए०एन०एम०

## नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैजा अस्पताल, जनपद, मध्यरा-

दिनांक 04.04.2019 को राज्य स्तरीय दल द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक के साथ नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैजा अस्पताल, जनपद, मथुरा का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के पर्यवेक्षण के दौरान नोडल अधिकारी-एन०य०एच०एम० भी उपस्थित थे। पर्यवेक्षण के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं—

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	यूपी०एच०सी० को हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में विकसित किया गया है। जनपद मथुरा में मात्र यही यूपी०एच०सी० सरकारी बिल्डिंग में संचालित की जा रही है। केन्द्र पर कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं है और न ही फार्मासिस्ट उपलब्ध है।	चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	नोडल अधिकारी— एन०य००एच०एम०
2	आई०ई०सी० पर्याप्त मात्रा में नहीं प्रदर्शित की गयी थी। सिटीजन चार्टर भी नहीं प्रदर्शित किया गया था।	समस्त आई.ई.सी. को मानकानुसार प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया।	जनपदीय अर्बन कोआर्डिनेटर
3	बायो मेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की व्यवस्था मानकानुरूप नहीं की गयी है।	मानकानुसार बायो मेडिकल वेस्ट प्रबन्धन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।	नोडल अधिकारी— एन०य००एच०एम०
4	परिवार नियोजन से सम्बन्धित परामर्श एवं सामग्री को उपलब्ध कराया जा रहा था।	परिवार नियोजन पर अधिक कार्य करने की अपेक्षा की गयी।	जनपदीय अर्बन कोआर्डिनेटर
5	प्रसव कक्ष में व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी। प्रोटोकाल मानकानुसार नहीं पाये गये। कैलिस पैड एवं डिलीवरी टेबिल मानकानुसार नहीं पाये गये। प्रसव के उपरान्त मरीज के रुकने हेतु वार्ड की व्यवस्था नहीं है।	एम०एन०एच० टूलकिट के अनुसार समस्त व्यवस्थायें मानकानुसार करने हेतु निर्देशित किया गया।	नोडल अधिकारी— एन०य००एच०एम०
6	ए०एन०सी० रजिस्टर, डिलीवरी रजिस्टर, रिकार्ड कीपिंग एवं दस्तावेजों का रख-रखाव मानकानुसार नहीं पाया गया।	आर०के०एस० के फण्ड से छोटी-छोटी आवश्यकतायें पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।	नोडल अधिकारी— एन०य००एच०एम०

## जिला संयुक्त चिकित्सालय, वृन्दावन-

दिनांक 04.04.2019 को राज्य स्तरीय दल द्वारा डा० के०के० गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सालय प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, श्री संजय सिहोरिया के साथ जिला संयुक्त चिकित्सालय का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये -

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सालय प्रबन्धक यू०पी०एच०एस०एस०पी० के द्वारा नियोजित की गयी थी किन्तु अब एन०एच०एम० के माध्यम सेवा प्रदान कर रही है, जिससे उनके मानदेय में कमी हो गयी है। चिकित्साधीक्षक एवं चिकित्सालय प्रबन्धक द्वारा राज्य स्तरीय टीम से इस समस्या के निदान हेतु अनुरोध किया गया।	प्रकरण राज्य स्तर से सम्बन्धित है। महाप्रबन्धक, क्वालिटी एश्योरेन्स से वार्ता के उपरान्त समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया।	महाप्रबन्धक— क्वालिटी एश्योरेन्स/ मानव संसाधन
2	चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अभाव है तथा सुरक्षा हेतु चौकीदार की भी उपलब्धता नहीं है।	आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन की नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
3	चिकित्साधीक्षक के कक्ष में चिकित्सालय की उपलब्धियों से सम्बन्धित डाटा को प्रदर्शित नहीं किया गया है।	चिकित्साधीक्षक के कक्ष में चिकित्सालय की उपलब्धियों से सम्बन्धित डाटा को प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये।	चिकित्सालय प्रबन्धक
4	सिटीजन चार्टर प्रदर्शित किया गया है किन्तु स्थान उचित नहीं है। चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं के चार्ट में कक्ष संख्या प्रदर्शित नहीं की गयी है जिससे चार्ट की उपयोगिता नहीं रह गयी है।	सिटीजन चार्टर को प्रतीक्षालय में प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये। उपलब्ध सुविधाओं के चार्ट में कक्ष संख्या अंकित करवाने के निर्देश दिये गये।	चिकित्सालय प्रबन्धक
5	चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है किन्तु ऑन कॉल व्यवस्था के माध्यम से चिकित्सक उपलब्ध हो जाते हैं।	स्त्री रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता हेतु पत्राचार करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
6	प्रसव कक्ष में दो टेबिल के मध्य प्राइवेसी बनाने के लिये स्क्रीन/पार्टीशन की उचित व्यवस्था नहीं है।	स्क्रीन/पार्टीशन की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
7	चिकित्सालय में सप्लाई होने वाला पानी खारा है जिससे उपकरण इत्यादि जल्दी खराब हो	आर०ओ० प्लान्ट की व्यवस्था करवाने हेतु प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,

	जाते हैं।	रखवाने के निर्देश दिये गये।	
8	पोषण पुर्नवास केन्द्र (एन0आर0सी0) में भी चिकित्सक की उपलब्धता नहीं है। रिकार्ड व्यवस्थित नहीं पाये गये। एन0आर0सी0 में बच्चों के मनोरंजन हेतु खिलौने इत्यादि बहुत ही कम पाये गये तथा टेलीविजन भी मात्र 14 इंच का पाया गया। एन0आर0सी0 के स्टाफ को अभी तक इन्कीमेण्ट प्राप्त नहीं हुआ है।	एन0आर0सी0 में चिकित्सक की उपलब्धता करवाने, रिकार्ड व्यवस्थित करवाने एवं बच्चों के मनोरंजन हेतु खिलौने उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
9	औषधियों की अद्यतन स्थिति को प्रदर्शित करने हेतु टेलीविजन लगाया गया है किन्तु नेटवर्क न आने के कारण अद्यतन स्थिति प्रदर्शित नहीं कर रहा था। स्टाक रजिस्टर, एक्सपाइरी रजिस्टर इत्यादि मुख्य चिकित्साधीक्षक से हस्ताक्षरित नहीं करवाये गये थे।	निर्देशित किया गया कि ससमय समस्त रजिस्टर मुख्य चिकित्साधीक्षक से हस्ताक्षरित करवाना सुनिश्चित करें।	मुख्य फार्मासिस्ट
10	चिकित्सालय के प्रांगण में स्थित आयुष विंग के निरीक्षण में पाया गया कि एक मेज पर कुछ प्रयोग की हुई सिरिंज पड़ी हुई थीं तथा अन्य सामान भी बिखरा हुआ पाया गया। आयुष विंग में कार्यरत चिकित्सक डा० आभा एवं फार्मासिष्ट श्री लक्ष्मण स्वरूप शर्मा आर्युवेदिक विधा के हैं किन्तु विंग में अन्य विधाओं की औषधियां भी पायी गयीं। आयुष विंग में बहुतायत मात्रा में एक्सपाइरी औषधियां भी पायी गयीं जिनमें से कुछ को सैम्प्लिल के रूप में मुख्य चिकित्साधीकारी को उपलब्ध भी कराया गया।	मुख्य चिकित्साधीकारी से प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।	मुख्य चिकित्साधीकारी

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरसाना, ब्लॉक-नन्दगांव-

दिनांक 05.04.2019 को राज्य स्तरीय दल द्वारा डा० गिरेन्द्र पाल सिंह, चिकित्सा अधीक्षक के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरसाना का भ्रमण किया गया। चिकित्सालय के विभिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये –

क्र.सं	अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	उत्तरदायित्व
1	चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है, जबकि इस वर्ष कुल 1497 प्रसव केन्द्र पर सम्पादित कराये गये हैं।	मुख्य चिकित्साधीकारी को कम स कम एक स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधीकारी

2	चिकित्सालय में स्थापित सी०सी०टी०वी० कियाशील है किन्तु प्रतिक्षालय में स्थापित किया गया टेलीविजन कियाशील नहीं है।	प्रतिक्षालय में स्थापित किये गये टेलीविजन को शीघ्रातिशीघ्र कियाशील करवाने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्साधीक्षक
3	बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के अंतर्गत एजेन्सी द्वारा सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।	समन्वय स्थापित करके समाधान करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्साधीक्षक
4	लेबर रूम में कैलीस पैड उपलब्ध था किन्तु उसमें हवा नहीं थी तथा दो में से एक रेडियन्ट वार्मर कियाशील नहीं था। लेबर रूम में डिजीटल क्लाक उपलब्ध नहीं थी।	मानकानुसार व्यवस्थायें करवाने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्साधीक्षक
5	चिकित्सालय में स्थित ओ०टी० मानकानुसार व्यवस्थित नहीं था। अवगत कराया गया कि मानव संसाधन की कमी के कारण ओ०टी० इत्यादि को व्यवस्थित करने में समस्या आ रही है।	आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन की नियुक्ति करने का प्रस्ताव मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्साधीक्षक
6	आर०क०एस० के शासी निकाय की बैठक गत एक वर्ष से नहीं हुई है। आर०क०एस० रजिस्टर दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया जा रहा तथा आशा मीटिंग रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।	शीघ्रातिशीघ्र शासी निकाय की बैठक कराने के निर्देश दिये गये। मीटिंग रजिस्टर को व्यवस्थित कराने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्साधीक्षक
7	डेन्टल सर्जन कार्यरत है किन्तु एक भी सर्जरी नहीं की गयी है। मात्र ओ०पी०डी० की जा रही है।	मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी

#### मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ समीक्षा बैठक—

दिनांक 05.04.2019 को राज्य स्तरीय दल द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मण्डल स्तर से मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, मण्डलीय लेखाधिकारी, मण्डलीय क्वालिटी कंसलेटेण्ट, जनपद स्तर से अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य कार्यकर्मों के नोडल अधिकारियों तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधिकारियों के साथ समस्त ब्लॉकों के चिकित्साधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये—

- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (डी०पी०एम०य०) के स्टाफ के मध्य समन्वय की कमी पायी गयी।

2. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अवनि परिधि संस्था से सम्पर्क के लिये मुख्य चिकित्साधिकारियों को सुक्षाव दिया गया।
3. समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह समीक्षा के साथ-साथ कार्यक्रमों से संबंधित अभिमुखीकरण करना भी सुनिश्चित करें।
4. निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह स्थलीय पर्यवेक्षण करते हुये आवश्यक दस्तावेजों एवं अन्य रिकार्ड को सही तरीके से अपडेट तथा व्यवस्थित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्देशित किया गया कि सभी डाटा बेस रिकार्ड व्यवस्थित करें।
6. आर०के०एस० रजिस्टर सही तरीके से भरे जाये तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
7. आवंटित बजट का उपयोग सही तरीके से करें।
8. पोर्टल पर अपडेशन समय करें।
9. प्राथमिक/सामुदायिक/स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर लेबर रूम मानकानुसार व्यवस्थित करायें।
10. स्वास्थ्य केन्द्र पर किचन मानकानुसार व्यवस्थित नहीं पाये गये।
11. डायट रजिस्टर तथा जे०एस०एस०के० मैन्यू समस्त इकाईयों पर उपलब्ध कराया जाये।
12. स्वास्थ्य केन्द्र सिटीजन चार्टर मानकानुसार प्रदर्शित नहीं पाये गये। स्वास्थ्य सुविधाओं के चार्ट में कक्ष संख्या प्रदर्शित नहीं पायी गयी।
13. निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय में आई०ई०सी० लगवाना, चेकलिस्ट भरना, भ्रमण आख्या, डैशबोर्ड रैकिंग, पोर्टल अपडेशन, ई-मेल आई०डी० को समय-समय पर चेक करना है एवं इन्हें पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
14. यू०पी० हैल्थ डैशबोर्ड के आधार पर मासिक समीक्षा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा डी०पी०एम०यू० स्तर पर तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा डी०पी०एम०यू० स्तर पर करके उसकी आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जाये। आख्या के आधार पर एक्शन प्लान एवं अनुपालन आख्या भी तैयार की जाये।
15. मण्डल, जनपद तथा ब्लाक स्तर पर निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण को सम्पादित किया जाये तथा भ्रमण आख्या को डिस्ट्रिक्ट अपलोड फैसीलिटी पर अपलोड कराया जायें। साथ ही साथ भ्रमण की चेकलिस्ट को आर०एम०एन०सी०एच०+ए० पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
 (पुर्णज्य प्रताप सिंह)  
 कार्यक्रम समन्वयक (एम० एण्ड ई०)

  
 (डा० अनामिका मिश्रा)  
 महाप्रबंधक (एम० एण्ड ई०)